<u>न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर</u>

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 120/2018 अपील (GCMS/2018/00132)
पंजीयन दिनांक - 27.08.2018
निर्णय दिनांक - 27.01.2021

1. श्री मुरलीधर पिता श्री मांगीलाल लौहार, निवासी सादड़ी, तहसील रेलमगरा व जिला राजसमन्द।
2. श्री रतनसिंह पिता श्री भैरूसिंह राजपूत, निवासी पीपली डोडीयान, तहसील रेलमगरा व जिला राजसमन्द।
3. श्रीमती गीता बाई पत्नि श्री राजकुमार राव, निवासी बामनिया कलां, तहसील रेलमगरा व जिला राजसमन्द।
4. श्रीमती सीताबाई पत्नि श्री प्रभुलाल राव, निवासी बामनिया कलां, तहसील रेलमगरा व जिला राजसमन्द।
5. श्रीमती शीला देवी पत्नि श्री भवानीशंकर दशोरा, निवासी तहसील रेलमगरा व जिला राजसमन्द।

-अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती मेहताबी पत्नि श्री पन्नालाल पुत्री श्री पन्नालाल जाट, निवासी लक्ष्मीपुरा, पोस्ट सरगांव, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमती हगामी पत्नि श्री बद्रीलाल, पुत्री श्री पन्नालाल जाट, निवासी गेगपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमती कमलाबाई पत्नि श्री भैरूलाल, पुत्री श्री पन्नालाल जाट, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
4. श्री प्यारचन्द पिता पन्नालाल जाट, निवासी हथाई मौहल्ला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
5. श्री जगदीशचन्द्र पिता पन्नालाल जाट, निवासी हथाई मौहल्ला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
6. श्री रामेश्वर लाल पिता श्री हीरालाल जाट, निवासी हथाई मौहल्ला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
7. श्री कैलाश चन्द्र पिता श्री हीरालाल जाट, निवासी हथाई मौहल्ला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
8. श्रीमती शान्तिबाई पत्नि श्री जगदीशचन्द्र पुत्री स्व.श्री हीरालाल, निवासी सरगांव, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

9. श्री रघुनाथ पिता श्री बद्रीलाल जाट, निवासी हथाई मौहल्ला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।

10. श्री सत्यनारायण पिता स्व. श्री बद्रीलाल जाट, निवासी जाशमा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

11. श्रीमती राजीबाई पत्नि स्व. श्री बद्रीलाल जाट, निवासी जाशमा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

12. ग्राम पंचायत रेलमगरा जरिये सचिव, ग्राम पंचायत रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री संदीप दाधिच - वकील अपीलार्थी

प्रकरण संख्या-08/2013, में श्रीमती मेहताबी व अन्य बनाम श्री प्यारचन्द व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2016 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 27.01.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा द्वारा प्रकरण संख्या-08/2013, में श्रीमती मेहताबी व अन्य बनाम श्री प्यारचन्द व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अधीनस्थ न्यायालय समक्ष वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी संख्या-1 से 3 क्रमशः श्रीमती मेहताबी, हगामी बाई व कमलाबाई द्वारा ग्राम पंचायत रेलमगरा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या-2543 दिनांक 13.11.2006 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की गई और कथन किया गया कि राजस्व ग्राम पटवार हल्का में उनके पिता पन्नालाल पिता हरलाल जाट की कृषि भूमियां स्थित थी। पन्नालाल जी के स्वर्गवास उपरान्त उसके वारिसान श्री हीरालाल, बद्रीलाल, प्यारचन्द, जगदीशचन्द्र (पुत्र) एवं शंकरी, सोवनी, मेहताबी, हगामी, कमला, कस्तुरी (पुत्रियां) थी, परन्तु पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के पिता श्री पन्नालाल जी की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण सभी वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज कर ग्राम पंचायत रेलमगरा में प्रस्तुत किया, जहां पर ग्राम पंचायत रेलमगरा ने उनके द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने भाईयों के नाम हक

त्याग किया जाना मानकर उनका नाम हटाते हुए नामान्तरकरण का आदेश पारित किया। ग्राम पंचायत द्वारा मनमकसुद तरीके से हक त्याग किया जाना मानकर उनके नाम पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं कर भारी भूल फरमाई है जिससे उनके नाम पर भी नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना आवश्यक होने से आलोच्य नामान्तरकरण अपास्त किया जावें।

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार-2016 के तहत आयोजित शिविर में रख कर निर्णय दिनांक 30.06.2016 से आलौच्य नामान्तरकरण संख्या-2543 निरस्त करते हुए तहसीलदार, रेलमगरा को प्रकरण इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित किया कि पन्नालाल पिता हरलाल जाट निवासी रेलमगरा के विधिक वारिसान एवं शपथ पत्रों की जांच कर पक्षकारानों को सुनते हुए नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही करें।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2016 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 27.08. 2018 को प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा.दी. का प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए अपील दिनांक 27.08.2018 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलार्थी उपस्थित। प्रत्यर्थीगण बावजुद सुचना अनुपस्थित। उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस दिनांक 19.01.2021 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम रेलमगरा तहसील रेलमगरा की आराजी संख्या-1719 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि में श्री बद्रीलाल पिता श्री पन्नालाल जाट का 45/2464 हिस्सा था। श्री बद्रीलाल का उक्त हिस्सा अपीलार्थी-1 से 4 (1/4-1/4 हिस्सा) ने चार अलग अलग विक्रय पत्रों के जरिये दिनांक 23.03.2010 को क्रय कर लिया, तब से अपीलार्थी-1 से 4 उक्त भूमि पर काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। इसी प्रकार उक्त आराजी संख्या-1719 में श्री रामेश्वरलाल पिता श्री पन्नालाल जाट का 45/4928 हिस्सा था, जो श्री रामेश्वरलाल ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक

26.11.2009 को अपीलार्थी-5 को विक्रय कर दिया, तब से अपीलार्थी-5 उक्त भूमि पर काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। इसी प्रकार अपीलार्थीगण ने राजस्व ग्राम रेलमगरा के आराजी संख्या-1699, 1723, 1724, 1725, 1726 व 1940 में से भी हिस्सा भूमि क्रय की हुई है। उक्त आराजीयात में भी बद्रीलाल के नाम पर जो हिस्सा था, वह अपीलार्थी संख्या-1 से 4 ने क्रय कर लिया एवं रामेश्वरलाल का हिस्सा अपीलार्थी संख्या-5 ने क्रय कर लिया है। क्रय की गई भूमि पर अपीलान्ट काबिज होकर उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम पर खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो चुकी थी, उक्त जानकारी रेस्पोडेंट संख्या-1 से 3 को होते हुए भी उनके द्वारा अपीलान्ट को जानबुझ कर अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया और अपने भाईयों रेस्पोडेंट संख्या-4 से 12 से मिलीभगत से उक्त अपील का अपने हक में निस्तारण करा लिया गया। उक्त जमीन अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित थी, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में एक आवश्यक पक्षकार था, जिसका पक्ष भी सुना जाना अति आवश्यक था। न ही अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय समक्ष सही व वास्तविक स्थिति रख पाया, न रेस्पोडेंट संख्या-1 से 3 व उनके भाईयों द्वारा सही स्थिति प्रस्तुत की गई। जिससे मिलीभगत प्रमाणित होती है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष रेस्पोडेंट संख्या-1 से 3 ने 07 वर्षों बाद अपील प्रस्तुत की जिस विरोध में श्री बाबुडा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उपस्थित ही नहीं हुआ और अधीनस्थ न्यायालय ने भाई बहनों के मिलीभगत को नजरअंदाज करते हुए 7 वर्षों के असाधारण विलम्ब को कन्डोन करने मे भारी भूल की है। विवादित भूमि विक्रय होने से वर्तमान में अपीलार्थी के नाम दर्ज हुई। नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है इसमें कोई हक व अधिकार तक नहीं किये जा सकते इसके लिये रेस्पोडेंट संख्या-1 से 3 को समक्ष न्यायालय से अपने हक व अधिकार तय कराने थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया गया। चुंकी आलौच्य आदेश दिनांक 30.06.2016 में अपीलार्थी को पक्षकार नही बनाया गया जिससे उसको निर्णय की जानकारी नहीं होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का स्वीकार योग्य है। साथ ही राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि अपीलार्थी द्वारा क्रय किये जाने से उसके नाम दर्ज है, आलौच्य आदेश दिनांक 30.06.2016 अपीलार्थी के परोक्ष पारित किया गया जबकि अपीलार्थी हितबद्ध व्यक्ति है, अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा.दी. का स्वीकार योग्य है। अन्त में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.06.2016 को अपास्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण

संख्या-2543 को बहाल रखने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया है। साथ ही विकल्प में अपीलाधीन निर्णय को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, प्रकरण में गुणावगुण पर विधिवत निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। अपने कथनों समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत-आरआरटी 2018(2) पेज 1355 एवं आरआरटी 2015(2) पेज 806 प्रस्तुत किया।

हमनें उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का आदरपूर्वक परिशीलन किया गया।

यहा सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा.दी. पर भी विवेचन किया जाना उचित होगा। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा.दी. का संलग्न कर निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड में विवादित भूमि अपीलार्थीगण द्वारा क्रय किये जाने से उसके नाम दर्ज है, आलौच्य आदेश दिनांक 30.06.2016 अपीलार्थीगण के परोक्ष पारित किया गया जबकि अपीलार्थी हितबद्ध व्यक्ति है, अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा. दी. का स्वीकार योग्य है। हम अपीलार्थी के कथन से संतुष्ठ है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदियों की प्रतियां प्रस्तुत की। उक्त दस्तावेजों के परिशीलन से अपीलार्थी हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, जिससे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है।

जहा तक मयाद के बिन्दु का सम्बन्ध है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर.आर. डी. 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबुत होता है तो उसे केवल मयाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रावधित किया गया है कि-

> Limitation Act, 1963, S.5 – Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case – Legality of – Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s. 5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

चुंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया आलौच्य आदेश से वर्तमान खातेदार होने से अपीलार्थी के हित प्रभावित होते है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में उसके हितों पर कुठारघात होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तानुसार मयाद का उपशमन किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है। परिसीमा नियमों का यह अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। वे यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मागें। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाता है और अपील को समयावधि में मानकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकनानुसार प्रथम दृष्टया वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात मुल पुरूष श्री पन्नालाल पिता श्री हरलाल जाट के नाम खातेदारी की थी। श्री पन्नालाल के चार पुत्र श्री हीरालाल, बद्रीलाल, प्यारचन्द, जगदीशचन्द्र, पांच पुत्रियां शंकरी (फौत), सोवनी (फौत), मेताबी, हगामी, कमला एवं पत्नि श्रीमती कस्तुरी (फौत) है। श्री पन्नालाल के स्वर्गवास उपरान्त ग्राम पंचायत रेलमगरा द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या-2543 दिनांक 13.11.2006 को श्री पन्नालाल के चारों पुत्रों के नाम स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण पर ग्राम पंचायत द्वारा वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 से 3 पुत्रियों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर हक त्याग का स्पष्ट अंकन किया गया है। श्री रामेश्वरलाल एवं बद्रीलाल द्वारा अपने नाम खातेदारी भूमि में भूमि का बेचान विभिन्न व्यक्तियों को किया गया जिसका राजस्व रेकर्ड में क्रेतागण (अपीलार्थीगण) के नाम अंकन किया जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रत्यर्थी संख्या-1 से द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण संख्या-2543 दिनांक 13.11.2006 के 7 वर्षों बाद अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा द्वारा निर्णय दिनांक 30.02.2016 से आलौच्य नामान्तरकरण संख्या-2543 निरस्त करते हुए तहसीलदार, रेलमगरा को प्रकरण इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित किया कि पन्नालाल पिता हरलाल जाट निवासी रेलमगरा के विधिक वारिसान एवं शपथ पत्रों की जांच कर पक्षकारानों को सुनते हुए नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भली-भांति प्रमाणित है कि विवादित आराजीयात मुल पुरूष श्री पन्नालाल पिता श्री हरलाल जाट के नाम खातेदारी की थी। श्री पन्नालाल के चार पुत्र श्री हीरालाल, बद्रीलाल, प्यारचन्द, जगदीशचन्द्र, पांच पुत्रियां शंकरी (फौत), सोवनी (फौत), मेताबी, हगामी, कमला एवं पत्नि श्रीमती कस्तुरी (फौत) है। श्री पन्नालाल के स्वर्गवास उपरान्त ग्राम पंचायत रेलमगरा द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या-2543 दिनांक 13.11.2006 को श्री पन्नालाल के चारों पुत्रों के नाम स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण पर ग्राम पंचायत द्वारा वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 से 3 पुत्रियों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर हक त्याग का स्पष्ट अंकन किया गया है। श्री रामेश्वरलाल एवं बद्रीलाल द्वारा अपने नाम खातेदारी भूमि में भूमि का बेचान विभिन्न व्यक्तियों को किया गया जिसका राजस्व रेकर्ड में क्रेतागण (अपीलार्थीगण) के नाम अंकन किया जाना प्रकट होता है। यद्यपि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में किये संशोधन से पूर्व पुत्रियों के हक नहीं होने के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने मत व्यक्त किये है। हिन्दु उत्तराधिकार कानून के तहत पिता की सम्पत्ति में निर्वसीयती पिता की सम्पत्ति पर पुत्र एवं पुत्रियों का समान अधिकार होता है, इस विधिक स्थिति को हम स्वीकार करते है किन्तु वर्ष 2006 में यदि विरासतन नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय श्री पन्नालाल के पुत्रों ने उसकी जीवित बहनों का नामान्तरकरण में नाम अंकित नहीं कराया तो यह पुत्रों का कथित कृत्य था हालाकि तीनों जीवित पुत्रियों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर हक त्याग करने का आलौच्य नामान्तरकरण पर अंकन है, जिसे तत्पश्चात तीनों पुत्रियों द्वारा अस्वीकार किया गया, इस तथ्य की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में श्री पन्नालाल की तीनों पुत्रियों प्रत्यर्थी-1 से 3 ने इस प्रमुख कथन के आधार पर ही 7 वर्ष पश्चात् नामान्तरकरण संख्या-2543 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। यदि श्री पन्नालाल के पुत्रों ने उनकी बहनों को हक से वंचित रखा एवं अकेले के नाम विरासतन नामान्तरकरण स्वीकृत करा लिया तो इस कथित पड़यन्त्र के विरूद्ध उसकी बहनों द्वारा तत्समय कथित पड़यन्त्र के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए थी। इस कथित पड़यन्त्र में वर्तमान अपीलार्थी तो सम्मिलित नहीं थे, यह निर्विवाद है तो इस खामियाजा अपीलान्ट भुगते यह न्यायोचित नहीं है।

इस प्रकरण में हमें विशिष्ट स्थिति दृष्टिगोजर हो रही है जिसका हम विवेचन किया जाना उचित समझते है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष तीनों जीवित बहनों द्वारा अपने भाईयों व उनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्री प्यारचन्द, श्री जगदीश पुत्र

श्री पन्नालाल, श्री रघुनाथ पुत्र श्री बद्रीलाल बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही की गई। श्री रामेश्वरलाल पिता श्री हीरालाल व श्री कैलाशचन्द्र पिता स्व.श्री हीरालाल के अधिवक्ताओं द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते, इसका अंकन किया गया। इसके अतिरिक्त श्री सत्यनारायण पुत्र स्व.श्री बद्रीलाल एवं श्रीमती राजीबाई पत्नि श्री बद्रीलाल के अधिवक्तागण ने अपील स्वीकार नहीं कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया, का अंकन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किया गया है। श्री रामेश्वरलाल एवं बद्रीलाल द्वारा अपने नाम खातेदारी भूमि में भूमि का बेचान विभिन्न व्यक्तियों को किया गया जिसका राजस्व रेकर्ड में क्रेतागण (अपीलार्थीगण) के नाम अंकन किया जाना प्रकट होता है। उपरोक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विक्रय के पश्चात् बहनों द्वारा विरासतन नामान्तरकरण के विरूद्ध 7 वर्ष अपील प्रस्तुत की गई ताकि नामान्तरकरण पश्चात् हस्तान्तरण निरस्त हो जावें तथा यह भूमि पुनः इसी परिवार के हाथ में आ जावें तथा क्रेता अपीलार्थी, जिन्होनें विक्रेता श्री रामेश्वरालाल व श्री बद्रीलाल को प्रतिफल देकर भूमि क्रय की थी, वे इस भूमि से वंचित हो जाये, इस पारिवारिक दुरभिसंधी की सम्भावना के तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस तथ्य की पुष्टि इससे होती है कि यदि श्री पन्नालाल के पुत्रों ने उनकी बहनों को हक से वंचित रखा एवं अकेले के नाम विरासतन नामान्तरकरण स्वीकृत करा लिया तो इस कथित पड़यन्त्र के विरूद्ध उसकी बहनों द्वारा तत्समय कथित पड़यन्त्र के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए थी, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर क्रेता/अपीलार्थी, जो कि वर्तमान में रेकार्डेड खातेदार है, उन्हे पक्षकार संयोजित नहीं किया तथा आपस में ही स्व. श्री पन्नालाल की पुत्रियां अपीलार्थी एवं पुत्र व उनके वारिसान रेस्पोडेंट बनकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा समक्ष 7 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की। प्रथम दृष्टया श्री पन्नालाल के पुत्र, पुत्रियों व वारिसान द्वारा मिलीभगत से की गई कार्यवाही में दुरभिसंधी की संभावना के तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता। जिस समय प्रत्यर्थी संख्या-1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत की उस समय वर्तमान अपील के अपीलार्थी विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार थे, जो स्पष्ट है। तत्समय के अभिलिखित खातेदार को प्रथम अपील में पक्षकार ही नहीं बनाया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा ने भी इस तथ्य पर गौर नहीं किया तथा निर्णय दिनांक 30.06.2016 पारित किया जो हमारी सुविचारित राय में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने से समर्थन योग्य नहीं है। उपरोक्त तथ्यों का समर्थन इस तथ्य से ओर अधिक सुदृढ़ होता है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पक्षकार पुत्र, पुत्रियां एवं उसके

वारिसान हस्तगत प्रकरण में बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके द्वारा रचित दुरभिसंधी न्यायालय हाजा समक्ष उजर न हो सकें।

पुनः यहा यह भी उल्लेखनीय है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त प्रक्रिया एवं सरसरी कार्यवाही है जिसमें किसी पक्षकार के स्वत्व सम्बन्धी विषय बिन्दु का निर्धारण नहीं किया जा सकता। स्वत्व का निर्धारण एवं विनिश्चयन नियमित घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर एवं तदनुरूप विवाद्यक बिन्दु कायम किये जाकर साक्ष्य/शहादत द्वारा किया जाना विधि में प्रस्तावित है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त प्रक्रिया में राजस्व रेकर्ड में तत्समय के अभिलिखित खातेदारों को उन्हे सुने बिना उनका नाम राजस्व अभिलेख से हटाये जाने की कार्यवाही नितान्त अविधिक है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान इस प्रकरण से सुंसगत होने से चस्पा होता है।

जिस समय श्री पन्नालाल के पुत्रियों द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, उस समय वर्तमान अपील के अपीलार्थी राजस्व रेकर्ड में अभिलिखित थे, उन्हे पक्षकार संयोजित किया जाकर उन्हे अपील में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपील का निर्णय किया जाना न्यायोचित था। साथ ही मयाद के बिंदु को सर्वप्रथम निष्पादित किया जाना था, जो नहीं किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा ने निर्णय दिनांक 30.06.2016 में उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी कर निर्णय पारित किया है जो हमारी संविचारित राय में नितान्त अविधिक होने से इसका समर्थन किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा का निर्णय दिनांक 30.06.2016 अपास्त किया जाता है और प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा को पुनःप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि मियाद के बिन्दु पर निर्णय करते हुए एवं विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में सभी प्रभावित पक्षकारान/वारिसान सहित को सुनवाई का समुचित अवसर एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर देते हुए, उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर